

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री
_____ गांव/कस्बे _____

से हैं जो कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश _____ जिला/संभाग _____

में है जो कि _____ समुदाय से संबंधित है, जिसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या _____ दिनांक _____ के तहत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है*। श्री /श्रीमती/कुमारी _____ और उनका परिवार मूल रूप से _____ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के _____ जिला/संभाग में रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एससीटी) दिनांक 8.9.1993** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट
उपायुक्त आदि

दिनांक:

मोहर

*- प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना होगा, जिसमें उम्मीदवार की जाति ओबीसी के रूप में उल्लिखित है।

** - समय समय पर किए गए संशोधन के अनुसार

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।